

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 174/08-भू0अ0/123(507) दिनांक दिनांक 02.02.2024 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507)के कि0मी0 75.00 से कि0मी0101.00(थातरी खड्ड से मुराडी)तक मोटर मार्ग के 2लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे0भूमि वन गैरबागवानी कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 170/र0का0-भूमि विकय/2022-23 दिनांक 09 फरवरी,2024 जो उप जिलाधिकारी,बड़कोट द्वारा संस्तुति अग्रसारित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल भूमि तहसील बड़कोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746,126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375,56/0.352,53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117 हे0 व ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या:2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 एवं तहसीलदार,बड़कोट/उप जिलाधिकारी,बड़कोट से प्राप्त प्रस्ताव/जांच आख्यानसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि तहसील बड़कोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746, 126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375, 56/0.352, 53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117हे0 ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 तथा ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है,को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (वन विभाग) के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 12 फरवरी,2024

ह0/-डॉ0मेहरवान सिंह बिष्ट,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3538 /ग्यारल-विविध (2023-24) दिनांक 13 जनवरी,2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बड़कोट।
- 2- अधिशाली अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

अपर जिलाधिकारी,,
उत्तरकाशी।